(30)

संख्या : 134(बी)/01(बी)सं0वि0क0मि0–6/2017

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कृषि उत्पादन आयुक्त,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
वित्त, संस्थागत वित्त, कृषि, सहकारिता, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स,
संयोजक, राज्य स्तरीय, बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त, कर निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 7 अप्रैल, 2017

विषय :– **प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों का फसली ऋण माफ किया जाना।**

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि **प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण को माफ किये जाने के** सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का निर्णय प्रदेश शासन द्वारा किया गया है :–

1. प्रदेश के सभी लघु तथा सीमान्त कृषकों के दिनांक 31 मार्च, 2016 तक लिये गये फसली ऋणों (एन0पी0ए0 ऋणों को छोड़कर) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में उनके द्वारा किये गये प्रतिभुगतान को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष ऋण की धनराशि रू0 1,00,000 की सीमा तक माफ कर दी जाय। एन0पी0ए0 ऋणों को एकमुश्त समाधान (ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत आगामी वर्षों में राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से राइट ऑफ करने हेतु वित्तीय सहायता की धनराशि का अन्तरण लघु एवं सीमान्त कृषकों फसली ऋण खातों में बैंकों के अन्तिम सम्परीक्षित लेखों के आधार पर किया जाएगा।

...2..

2. प्रदेश के सभी लघु तथा सीमान्त कृषकों ऋण माफी की योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार को संस्तुतियां प्रदान किये जाने हेतु निम्नवत् एक समिति का गठन किया जाता है :–

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।	सदस्य

3. उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा ऋण माफी की योजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त संगत पहलुओं पर विचार कर योजना का स्वरूप तैयार किया जायेगा तथा ऋण माफी के लिये आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था किये जाने के लिये सुविचारित प्रस्ताव अनुमोदित कराकर योजना का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। समिति द्वारा योजना में निहित आवश्यक कार्यवाहियां भी निर्धारित की जायेंगी। समिति के विस्तृत निदेश पद (Terms of Reference) माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से निर्धारित किये जायेंगे। समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने, घटाने अथवा अन्य किसी प्रकार के संशोधन हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगे।

4. प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों का फसली ऋण ब्याज सहित माफ किये जाने की योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु समय–समय पर यथा आवश्यकता जनहित एवं कार्यहित में निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगे।

....3..

समिति उक्त सभी तथ्यों पर विचार कर अपनी संस्तुतियां एक माह के अन्दर देगी तथा उक्त संस्तुतियों के आधार पर निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

भवदीय

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्या : 134(बी)/01(बी)सं0वि0क0मि0–6/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, वित्त विभाग (श्री मुकेश मित्तल)।
2. विशेष सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव।
4. महानिदेशक, संस्थागत वित्त।
5. विशेष सचिव, गोपन (अनु0–1)।

आज्ञा से,

(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव,
संस्थागत वित्त विभाग।